

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म

महावीर बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ़)  
सू.अ.अपील संख्या 208 / 2023


न. व. तारीख  
अहकाम जो  
इस हुक्म की  
तारीख में  
जारी हुए

04.09.23

अपीलार्थी महावीर पुत्र अमराराम निवासी कुड़ियो का मोहल्ला, कुकरडा, आसोप, भोपालगढ़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.07.2023 में (1) पिछले 5 वर्षों की रबी व खरीफ दोनो फसलों की क्रॉप कटिंग के विस्तृत आंकड़ों की प्रमाणित प्रतिलिपि रबी 2018-19 से लेकर रबी 2022-23 तक (2) अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ़) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ़) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ़) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ़) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।



(हिमान्सु गुप्ता)  
जिला कलक्टर जोधपुर

**जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)**